

बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, २००९,  
६ से १४ साल के हर बच्चे को निशुल्क  
शिक्षा का अधिकार देता है।

अगर आज भी आपके परिवार या  
मोहल्ले में कोई बच्चा है जो स्कूल  
नहीं जाता तो कदम उठाये.....  
उसे उसका अधिकार दिलाएं।



New Education Group - Foundation for Innovation  
and Research in Education. [NEG-FIRE]  
Fr. Agnel School, Gautam Nagar  
New Delhi - 110 049  
Phone: +91(11) 26526570/26531887  
Email: info@negfire.org  
Visit us at: www.negfire.org

### इसके अंतर्गत:

- ☺ ६ से १४ साल तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा पाने के लिए किसी भी तरह का खर्चा नहीं देना होगा।
- ☺ कोई भी स्कूल सरकारी या गैर सरकारी किसी भी बच्चे को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता।
- ☺ गैर सरकारी और विशेष श्रेणी के स्कूलों में २५% सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- ☺ लड़का या लड़की बाल मजदूर या विकलांग, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है।
- ☺ पढ़ाई में पिछड़े बच्चों को बराबरी पर लाने के लिए उनकी उम्र के मुताबिक विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जायेगा।

- ☺ हर विद्यालय की स्कूल प्रबंधन समिति में ७५% माता पिता भाग लेकर स्कूल के कार्यों पर निगरानी रखेंगे।
- ☺ किसी भी बच्चे को ८वीं तक की शिक्षा पूरी न करने तक न ही किसी कक्षा में रोका जायेगा और न ही स्कूल से निकाला जायेगा।
- ☺ शाला प्रबंधन समिति में ५०% भागीदारी महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों की होगी।
- ☺ हर स्कूल में प्रत्येक ३० बच्चों की संख्या पर एक शिक्षक होना चाहिए।
- ☺ हर साल स्कूलों में कम से कम २०० (८०० शैक्षणिक घंटे) कार्य दिवस और जूनियर में २२० (१००० शैक्षणिक घंटे) कार्य दिवस की पढ़ाई होगी।